



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 360 राँची, गुरुवार, 11 आषाढ़, 1948 (श०)
2 जुलाई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

9 जून, 2026

पत्रांक : 33 /वि० (महंगाई भत्ता/महंगाई राहत)-54/2017/1818/वि०

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धिके संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महंगाई राहत अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/02/2024-P&PW(D)E-9475 दिनांक 24.04.2026 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की वर्तमान दर को 58% (अट्ठावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 60% (साठ प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई राहत की दर को सम्यक विचारोपरान्त निम्नरूप संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से मूल पेंशन का 60% (साठ प्रतिशत) महंगाई राहत स्वीकृत किया जाय।”

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति वित्त विभागीय संदर्भ ज्ञापांक 1690/वि0 दिनांक 22.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद संख्या 16 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
